फा. सं. 9-2/2019-पीडी-2 (ई366891)

भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 18 मार्च, 2020

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव,
खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग,
सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

विषय : नए कोरोनावायरस (कोविड-19) को फैलने से रोकने के लिए किए जाने वाले निवारक उपाय के संबंध में।

महोदय/महोदया,

नए कोरोनावायरस (कोविड-19) को फैलने से रोकने के लिए, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा कुछ एहतियाती उपाय किए जाने की आवश्यकता है

2. इस मामले में विस्तृत जांच और विचार-विमर्श के पश्चात, इस विभाग में परामर्श-पत्र /दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं। इन उपायों को कार्यान्वित किए जाने से पूर्व, यह आवश्यक है कि सभी एफपीएस डीलरों, लाभार्थियों और अन्य फील्ड कर्मचारियों सहित सभी संबंधितों का सहयोग सुनिश्चित करने के लिए उन्हें इस विषय में जानकारी दी जाए जिससे कि किसी प्रकार की घबराहट से बचा जा सके। यह दोहराया जाता है कि देश में कोरोना के प्रभाव को कम करने के लिए सुझाए गए निवारक उपाय अस्थायी हैं। इसके अतिरिक्त, आप इस संबंध में अपने आदेश/परामर्श-पत्र जारी कर सकते हैं।

3. आपको सभी आवश्यक उपाय करने की सलाह दी जाती है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

i. बिना दवा संक्रमण की रोकथाम और आपस में दूरी पर नियंत्रण रखने के लिए उचित दूरी (सोशल डिस्टेन्सिंग) का पालन किया जाए। उचित दर दुकानों पर पंक्तिबद्ध लाभार्थी/व्यक्ति, यदि कोई हों, के बीच एक मीटर की दूरी रखी जाए।

ii. जैसा कि मीडिया में साक्षात्कारों के दौरान देखा गया है, विभिन्न चिकित्सा विशेषज्ञों ने यह परामर्श दिया है कि नए कोरोनावायरस (कोविड-19) को फैलने से रोकने के लिए सामान्य सर्जिकल मास्क/ रूमाल का उपयोग करना एक अच्छा उपाय है। उचित दर दुकानों पर लंबी पंक्तियों के मामले में, लाभार्थियों को सामान्य सर्जिकल मास्क/ रूमाल का उपयोग करने की सलाह दी जा सकती है।

iii. ईपीओएस उपकरणों पर बायोमेटिक प्रमाणन करने से पूर्व, यह सुनिश्चित किया जाए कि लाभार्थियों के हाथों/ उंगलियों को साबुन या पानी से सही प्रकार से साफ किया गया है अथवा हैंड सेनिटाइज़र्स द्वारा नियमित सफाई/सेनिटाइज़ेशन किया गया है। एफपीएस डीलरों को भी यह सलाह दी जाती है कि वे ईपीओएस उपकरणों का उपयोग करते समय अपने हाथों का नियमित सेनिटाइज़ेशन सुनिश्चित करें।

iv. सभी लाभार्थियों, आदि के उपयोग और हित के लिए सभी उचित दर दुकानों, गोदामों, आदि पर हैंड सेनिटाइज़र्स, साबुन और पानी की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करें।

v. उचित दर दुकानों पर लाभार्थियों की भीड़/पंक्ति को कम करने के लिए एफपीएस पर वितरित किए जाने वाले खाद्यान्नों के दिवस की अवधि को माह में अधिकतम अवधि तक बढ़ा दिया जाए।

vi. उचित दर दुकानों, गोदामों, आदि पर गैर-जरूरी व्यक्तियों की उपस्थिति/आने-जाने से बचा जाए।

vii. सभी व्यक्तियों को हमेशा एवं निरंतर जानकारी देते रहें।

4. इसके अतिरिक्त, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 के पैरा 9(9) के अनुसार, यह सूचित किया जाता है कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उचित दर दुकानों पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरित किए जाने वाले खाद्यान्नों के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं की बिक्री की अनुमति दी जा सकती है। इस संबंध में, यह देखा गया है कि नए कोरोना वायरस (कोविड-19) के फैलने से रोकने के लिए सुरक्षात्मक उपाय के रूप में मास्क, हैंड सेनिटाइज़र्स, साबुन, आदि जैसी स्वच्छता के लिए उपयोग में आने वाली वस्तुओं को वितरित किए जाने की आवश्यकता है। राज्य / संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इनकी बिक्री की व्यवस्था एफपीएस पर की जा सकती है।

5. व्यापक प्रचार / जागरूकता के लिए क्या करें और क्या न करें की निर्देशात्मक सूची भी संलग्न है।

भवदीय,

संलग्नक : यथोक्त।

(डी.के. गुप्ता)

निदेशक (पीडी)
टेलीफोन : 23070429

सेवा में,

1. सचिव (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) के प्रधान निजी सचिव, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग कृषि भवन, नई दिल्ली।
2. संयुक्त सचिव (प्रशासन) के प्रधान निजी सचिव, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।